

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

-: अधिसूचना :-

पटना-15, दिनांक- 2017

संख्या - मं0मं0-01/आर०-22/2008/ /भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (ख) की कंडिका 2(ii) को तुरंत के प्रभाव से विलोपित करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं0मं0-01/आर०-22/2008/

४२६

दिनांक- २/४/२०१७

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/सभी माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५/४/१७

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव